परिशिष्ट-एक

[16/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2161]

1

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330] भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अगस्त 2016—श्रावण 15, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. एफ-ए-1-07-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक छियासठ और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात् :—

   "सढ़सठ—आनन्द विभाग".

2. अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक "छियासठ" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"सढ़सठ—आनन्द विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. आनन्द एवं संकुशलता को मापने के पैमानों की पहचान करना तथा उन्हें परिभाषित करना.
2. राज्य में आनन्द का प्रसार बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन के लिए दिशा निर्देश तय करना.
3. आनन्द की अवधारणा का नियोजन, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाना.
4. आनन्द की अनुभूति के लिए एक्शन प्लान एवं गतिविधियों का निर्धारण.
5. निरन्तर अन्तराल पर मापदण्डों पर राज्य के नागरिकों की मनस्थिति का आंकलन करना.
6. आनन्द की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग

(अखिलेश अर्गल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य आनंद संस्थान
भोपाल

Scanned with CamScanner

7. आनन्द के प्रसार के माध्यमों, उनके आंकलन के मापदण्डों में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान करना.

8. आनन्द के विषय पर एक ज्ञान संसाधन के रूप में कार्य करना.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम:

कुछ नहीं.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय:

कुछ नहीं.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम:—

1. राज्य आनन्द संस्थान.

(उ) ऊपर (इ) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय:

कुछ नहीं.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम; यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो:

कुछ नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. एफ-1-07-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-07-2016-एक-(1), दिनांक 6 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

(अखिलेश अर्गल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य आनंद संस्थान
भोपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th August 2016

No. F-1-07-2016-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In rule 2, after existing serial number LXVI, and entry relating thereto the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely:—

"LXVII—Happiness Department.".

2. In the Schedule, after existing heading "LXVI" and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be added, namely:—

"LXVII—Happiness Department".

(A) **Matters of policy dealt within the Department:**

1. To identify the measurements to measure happiness and well-being and to define them.

2. Determine guidelines for coordination amongst different departments in view of enhancing expansion of happiness in the State

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग

Scanned with CamScanner

3. To bring in mainstream the procedure of determination of the concept of happiness policy ascertainment and implementation.

4. Formation of Action Plan and activities for perception of happiness.

5. Assessment of state of mind of citizens of the state on standards by regular intervals.

6. Publish a survey report being prepared on status of happiness.

7. Continue research for improvement in media of expansion of happiness and in standards of their evaluation.

8. Execute as a form of Knowledge Resources on the matter of happiness.

(B) Acts and Rules administered by the Department:

Nil.

(C) Directorate and Offices coming under the Department:

Nil.

(D) Board and Corporations set up under Acts:

1. State Happiness Organization.

(E) Other Institution and Bodies not covered under (D) above:

Nil.

(F) Name of Service, if any, coming under the Department and Special Service matters, if any:

Nil.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग

(... जगलि)
उप कार्यपालन अधिकारी
राज्य आनंद संस्थान
भोपाल

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

Scanned with CamScanner